(155)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3730–दो/15 विरूद्ध आदेश, दिनाक 9–11–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 76/अपील/14–15.

मोतीलाल यादव तनय हरदास यादव
निवासी उदयपुरा भदरई तहसील लिधौरा
जिला टीकमगढ़ म0 प्र0 ----- आवेदक

विरूद्ध

1 सुरेश तनय मुलुवा यादव
2 मु0 धम्मा बेवा मुलुवा यादव
3 गुडडी पुत्री मुलुवा यादव
4 उषा पुत्री मुलुवा यादव
5 अकला पुत्री मुलुवा यादव
6 अनीता पुत्री मुलुवा यादव
निवासी उदयपुरा भदरई हाल खर बम्हौरी
तहसील लिथौरा जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

---अनावेदकगण

श्री जी0 पी0 नायक, अभिभाषक, आवेदक
श्री सौरभ जैन अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जतारा जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 76/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 9–11–15 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि मुलुवा यादव फौत होने के कारण

वारिसान के आधार पर मोतीलाल यादव के नाम तहसीलदार तहसील लिथौरा जिला टीकमगढ द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 2 ग्राम उदयपुरा आदेश दिनांक 21–11–2013 द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 76/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 9–11–2015 द्वारा धारा 5 के आवेदन पर अपील स्वीकार कर प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय में उन्हें हितबद्ध पक्षकार होते हुए भी सूचना हीं दी गई ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात तथा मूल अभिलेख के अवलोकन के पश्चात यह पाया है कि आवेदकगण आवश्यक हितबद्ध पक्षकार हैं । उन्होंने अपने विवेक का उपयोग करते हुए विलंब को क्षमा करते हुए अपील को अवधि के अंदर मान्य करते हुए प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है । आवेदक को प्रकरण के गुणदोषों पर अपना पक्ष रखने का अवसर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपलब्ध है इस कारण इस स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण मैं नहीं पाता हूँ । परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर